कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/ 545 **दिनांक :21-11, 2020**

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के बेर फसल वर्ष 2020–21 (3.5 एकड़) की बिक्री हेतु दिनांक 25.11.2020 के पूर्वाह्न 03:00 बजे संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के कार्यालय में खुली नीलामी होगी।

नीलामी की शर्ते :-

1. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति (ठेकेदार) नीलामी से पूर्व बाग का भली–भाँति निरीक्षण कर लें।
2. ठेका लेने के इच्छुक ठेकेदार दिनांक 25.11.2020 के अपराह्न 2:30 बजे तक केंद्र के कार्यालय में रु. 5,000/– नकद जमा करके खुली बोली मे भाग ले सकते है।
3. उच्चतम बोली दाता द्वारा जमा की धनराशि रु. 5,000/– को छोड़कर अन्य ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी धनराशि को बोली समाप्ति के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
4. सफल बोली दाता को उच्चतम बोली (राशि) का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जमा करना होगा। इस राशि में बोली के समय जमा की गयी राशि रु. 5,000/– को सम्मलित नहीं किया जायेगा। यदि सम्बन्धित बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी राशि रु. 5,000/– को जब्त कर लिया जायेगा और उसके द्वारा लगायी गयी उच्चतम बोली को निरस्त कर दिया जायेगा।
5. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए बोली को निरस्त कर दें।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा ठेका स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को अवशेष धनराशि जमा करने की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना जारी होने के एक माह के अन्दर या बाग का कब्जा लेने से पूर्व, जो भी पहले हो, ठेके की सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा करनी होगी। इस राशि में क्रेता द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि रु. 5,000/– को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि क्रेता सम्पूर्ण राशि जमा करनें में असमर्थ रहता है तो शेष धनराशि पर 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने से पूर्व ठेके की राशि का 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यदि निश्चित दिनांक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नही की जाती है तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ धनराशि जमा करनी होगी। इस प्रतिभूति राशि को बैंक ड्राफ्ट के रूप में नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम जमा करना होगा। ***बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/ पी0एन0बी0/यूनियन बैंक, पंतनगर*** में देय ही मान्य होगा। इस 10 प्रतिशत राशि को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा।
7. बोली की समस्त धनराशि बोलीदाता के खाते से ही बनाये गये बैंक ड्राफ्ट द्वारा मान्य होगीं।
8. जिस ठेकेदार की उच्चतम बोली स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझानें के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10. ठेकेदार को 100 कि0ग्रा0 बेर फल शोध कार्य हेतु एवं 300 बेर फल विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केन्द्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने की अनुमति होगी, इसमें ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।
11. ठेके की शर्तो के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु. 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
12. बाग के कुछ पौधों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। इन वृक्षों के फल ठेकेदार को अनुसंधानकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही तोड़ना होगा।
13. बाग की रखवाली, बाग की सफाई, फलों को तोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने व फसल सुरक्षा सम्बन्धी कार्य ठेकेदार को स्वयं करने होगे।
14. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केंद्र या विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की दशा में क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
15. बाग के ठेके की अवधि कब्जा लेने की तिथि से दिनांक 30.04.2021 तक होगी।
16. बेर बाग की नीलामी सूचना, सूचना पट् तथा संज्ञानित ठेकेदारों को डाक/दूरभाष द्वारा दी जायेगी।
17. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण–पत्र जो पुलिस ,ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ बेर बाग का कब्जा लेने से पूर्व केन्द्र के कार्यालय में जमा करना होगा।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपरोक्त शर्तो के साथ बेर बाग फसल वर्ष 2020–21 की खुली नीलामी प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कृपा करें।

21.11.2020
(प्रतिमा)
सहायक निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र